

18/04/22

784

CE(P)

प्रमुख अभियन्ता
लो. नि. वि.

MD

20-04-22

Shoni I

21/4/22

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-1
संख्या- 7/3 / 111(1)/21-02(16)जांच/21
देहरादून, दिनांक 18 मार्च, 2022
कार्यालय ज्ञाप

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत गतिमान विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु अपरिहार्य परिस्थितियों में अतिरिक्त समय वृद्धि (Extension of time) प्रदान किये जाने विषयक मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है:-

(i) प्रायः कार्य स्थल का Encumbrance Free न होने के कारण निर्माण कार्यों की प्रगति धीमी रहती है। विभाग द्वारा किसी भी कार्य की निविदा आमंत्रित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है तथा सम्बन्धित अधिकारी द्वारा कार्य स्थल के Encumbrance Free होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही अनुबन्ध गठित किया जाये।

(ii) देहरादून कार्यों के सापेक्ष विभागीय Cash flow भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा विभाग में Budget की कमी अथवा परियोजना विशेष में धनावंटन सुचारु नहीं होने की दशा में ऐसे कार्यों को पूर्ण किये जाने की अवधि को इस अनुसार ही बढ़ा कर निर्धारित किया जायेगा।

(iii) निविदाएं आमंत्रित करने से पूर्व विभाग द्वारा कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु Intended Completion Period M.S. Project से तैयार किया जाये तथा ठेकेदार द्वारा M.S Project से Resource Base Work Programme तैयार कर अनिवार्यतः निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जायेगा।

(iv) ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये गये Resource Base Work Programme के सन्दर्भ में विभाग द्वारा Site Order Book में दैनिक आधार पर कार्यस्थल पर कार्यरत Labour/Machinery की संख्या एवं किये गये कार्यों के विवरण के साथ ही कार्यस्थल पर Labour/Machinery के निष्क्रिय अवस्था में रहने के कारणों का उल्लेख प्रतिदिन किया जायेगा।

(v) उक्त Site Order Book को कनिष्ठ अभियन्ता या सहायक अभियन्ता द्वारा भरा जायेगा, इसके अतिरिक्त ठेकेदार को सामान्य निर्देश भी Site Order Book में दिये जा सकते हैं, जिन निर्देशों पर ठेकेदार को हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा। ठेकेदार द्वारा Site Order Book में दिये गये निर्देशों पर हस्ताक्षर नहीं किये जाने की दशा में उक्त निर्देशों के अलावा भी ठेकेदार को सामान्य पत्र के माध्यम से निर्देशित किया जायेगा।

(vi) ठेकेदार द्वारा उचित समयवृद्धि हेतु प्रार्थना पत्र विभाग को अनुबन्ध के समय समाप्ति तिथि से 15 दिन पूर्व अथवा कार्य स्थल पर उत्पन्न अवरोध (Hindrance) के कारण कार्य में विलम्ब होने की दशा में कार्य पुनः प्रारम्भ होने/विलम्ब के 03 दिन के भीतर प्रेषित किया जाना होगा।

(vii) कार्यों के समयबद्ध निस्तारण/Time Control हेतु ठेकेदार से निविदा स्वीकृति पत्र (Letter of Acceptance/Site Handover) प्राप्त होने के उपरान्त निविदा जमा करते समय Revised Work Programme prepared on MS Office along with the initial Work Programme विभाग को उपलब्ध कराना होगा, जिसमें General Methods, Arrangements, मर्दों के कार्यान्वयन के क्रम एवं मर्दों को पूर्ण करने हेतु समय के साथ Monthly Cash Flow Forecast आदि उल्लिखित किया गया हो।

कमश:-2

20/4/22

(viii) ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त समय वृद्धि (EOT) लिये जाने हेतु अपने आवेदन/प्रार्थना पत्र में समुचित कारणों का उल्लेख किया जाना होगा, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं थे। विभाग के संज्ञानार्थ अतिवृष्टि एवं आपातकालीन परिस्थितियों/आपदा का प्रमाण भी प्रस्तुत किया जाना होगा।

(ix) ठेकेदार द्वारा समयबद्ध तरीके से मासिक लक्ष्य (As per Contract Agreement) की प्राप्ति हेतु मासिक प्रगति आख्या (Monthly Progress Report) हर महीने की 07 तारीख तक विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। समयवृद्धि के प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु MPR में ठेकेदार के संयंत्र (Equipment), कार्मिकों (Personnels), कार्यों की गतिविधियां, फोटोग्राफ्स, गुणवत्ता विषयक प्रपत्र (Quality Assurance Documents) एवं Work Programme के अनुसार कार्यों (मदों) की पूर्व निर्धारित/लक्षित भौतिक प्रगति एवं वास्तव में कार्य स्थल पर सम्पादित कार्यों (मदों) की भौतिक प्रगति का तुलनात्मक विवरण भी अंकित किया जायेगा।

(x) प्रत्येक माह की 07 तारीख को मासिक प्रगति आख्या (Monthly Progress Report) जमा करते समय ठेकेदार एवं विभागीय अधिकारियों के मध्य बैठक आयोजित कर कार्यों में आ रही बाधाओं का निराकरण करते हुए बैठक के कार्यवृत्त को अनुबन्ध का भाग बनाया जाये।

(xi) उक्त प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित कराने का दायित्व EOT स्वीकर्ता अधिकारी का होगा। प्रक्रिया का अनुपालन न होने की दशा में EOT के संस्तुतिकर्ता व स्वीकर्ता अधिकारी उत्तरदायी होंगे। अतिरिक्त समय वृद्धि प्रस्ताव के साथ निम्न प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जायेगा:-

कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता
ठेकेदार द्वारा समय वृद्धि प्रार्थना पत्र के संलग्नकों के आधार पर समयवृद्धि प्रकरण मेरे द्वारा तैयार किया गया है तथा समय वृद्धि हेतु अंकित कारणों से मैं सहमत हूँ।	मेरे द्वारा समय वृद्धि प्रकरण की जाँच कर ली गई है। समय वृद्धि में अंकित कारण एवं समयावधि हेतु मैं सहमत हूँ।	समय वृद्धि प्रकरण SOP तथा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप तैयार किया गया है तथा स्वीकार करने योग्य है।	समय वृद्धि प्रकरण SOP तथा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप तैयार किया गया है तथा स्वीकार करने योग्य है।
हस्ताक्षर:-	हस्ताक्षर:-	हस्ताक्षर:-	हस्ताक्षर:-
नाम:-	नाम:-	नाम:-	नाम:-

(xii) सक्षम प्राधिकारी/EOT स्वीकर्ता अधिकारी को अतिरिक्त समय वृद्धि स्वीकार अथवा अस्वीकार करने तथा अर्थदण्ड (Penalty) लगाने अथवा न लगाने के कारणों को अपने आदेश में स्पष्ट करना होगा।

2. लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत गतिमान विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिशाली अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए नितान्त अपरिहार्य परिस्थितियों में यथा आवश्यकता अतिरिक्त समय वृद्धि (Extension of time) प्रदान किये जाने हेतु उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। अतिरिक्त समय वृद्धि (Extension of time)

twimo

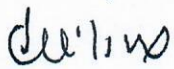
प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रकरणों में किसी प्रकार की अनियमितता/लापरवाही बरते जाने के तथ्य संज्ञान में आने पर सम्बन्धित EOT स्वीकृता अधिकारी व्यक्तिगत रूप से स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(रमेश कुमार सुधांशु)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 713 (1)/111(1)/21-02(16)जांच/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
3. तकनीकी परामर्शदाता-प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल जोशी)
उप सचिव।



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

Phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: eicpwduk@nic.in



पत्रांक- 236 / 158 याता0क' / 2022

दिनांक-21.04.2022

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मुख्य अभियन्ता, सिविल/रा0मा0/पी0एम0जी0एस0वाई0, लोक निर्माण विभाग,
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता,वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग,
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय/निर्माण/अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वेबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

-6- श्री M. H. Office (P.W.D.)


(अनिल जोशी)
उप सचिव।